बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2024

- संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) बिल, 2024 को 5 फरवरी, 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल ओड़िशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।
- **अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए गए समुदाय**: बिल निम्नलिखित समुदायों को ओड़िशा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करता है: (i) मुका डोरा, मूका डोरा, नुका डोरा, नूका डोरा (कोरापुट, नौरंगपुर, रायगढ़ा और मलकानगिरी जिलों के लिए), और (ii) कोंडा रेड्डी (Konda Reddy), कोंडा रेड्डी (Konda Reddi)।
- **कुछ समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची से अनुसूचित जनजातियों की सूची में डाले गए**: बिल ओड़िशा में तमाडिया और तमुडिया समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाता, और उसके बजाय उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करता है।
- **कुछ समुदायों के लिए समानार्थी**: बिल ओड़िशा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों के लिए समानार्थी या ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) भिन्नताओं को भी जोड़ता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

ऋत्विक उपाध्याय
rutvik@prsindia.org

7 फरवरी, 2024